म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / उप विधि / संसोधन / 2015 / 3656   भोपाल, दिनांक 13/03/2015

—:: आदेश ::—

म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अधिसूचित कृषि उपज **''लहसुन (गीला तथा सुखा)''** कि किसान हित में बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी समिति से यह अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 15.04.2015 तक **'' मण्डी समिति के लिये उपविधि वर्ष–2000 ''** में निम्नानुसार संशोधन कर नवीन उपबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करें :–

(1) उपविधि सन–2000 के **अध्याय चार** में मंडी समिति द्वारा अधिसूसचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण हेतु निर्धारित कंडिका 16 में संशोधन उपरांत निम्नानुसार **नवीन उपबंध** (7) को स्थापित किया जाए :–

(16) (7) – यह कि कृषि उपज **''लहसुन (गीला तथा सुखा)''** शीघ्र नष्ट होने वाली (पेरीशेबल कमोडिटी) है जो कि कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 1(क) की अनुसूची **दस** के **अन्तर्गत ''चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएं''** श्रेणी में आता है, के विपणन हेतु कृषि उपज मंडी समिति की इस उपविधि के उपरोक्त उपबंध में निर्धारित प्रणाली के अतिरिक्त उपयुक्त वैकल्पिक पारदर्शी प्रणाली यथा प्रतिनिधि (कमीश्न एजेंट) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज के विपणन, घोष विक्रय संचालन इत्यादि को उसी प्रकार भी विनियमित किया जा सकेगा जैसे कि **'' फल सब्जी विपणन के लिये उपविधि सन 2000 ''** के प्रावधानों में उपबंधित है, किन्तु इस वैकल्पिक व्यवस्था में की गई कोई भी बात से कृषि उपज **''लहसुन (गीला तथा सुखा)''** को मंडी अधिनियम की धारा 1(क) की अनुसूची सात यथा ''फल'' या अनुसूची आठ यथा ''सब्जी'' के अंतर्गत नहीं समझा जावेगा।

विनिर्दिष्ट कालावधि में मण्डी समिति द्वारा उपविधि सन 2000 में उपरोक्तानुसार संशोधन करने में असफल रहने की स्थिति में उपविधि सन 2000 के उक्त संशोधन म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के या उसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनॉक 16.4.2015 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगें।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क./ कमांक/ बी–6/नियमन/उप विधि/संशोधन/2015/3657 भोपाल, दिनांक 13/03/2015

प्रतिलिपिः—

(1) उप संचालक/संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय इन्दौर/उज्जैन/भोपाल/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा को निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति के लिये उपविधि वर्ष–2000 में उक्त संशोधन संभाग की प्रत्येक मंडी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई के संबंध में संभाग की समस्त मंडियों का संकिलित पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित करें।

(2) अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... (समस्त) की ओर पालनार्थ। मण्डी समिति के लिये उपविधि वर्ष–2000 में अपेक्षित उक्त संशोधन मंडी समिति द्वारा नियमानुसार प्रस्तावित पारित कर विनिर्दिष्ट कालावधि में स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।

m

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल